



झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

न्यू कॉर्पोरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा, राँची - 834002

दूरभाष: 0651-2410519/2410509/2412028 फ़ैक्स: 0651-2410528

ई-मेल: jepcranchi@rediffmail.com

पत्रांक: VEC/05/102/2010/...../1107

दिनांक: 21/5/2012

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

सर्व शिक्षा अभियान,

झारखण्ड ।

SGH
23/05/12

विषय: विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति के संबंध में ।

महाराज/महाराजा,

राज्य कार्यकारिणी की 27वीं बैठक दिनांक 22.07.2010 में लिए गये निर्णय के आलोक में विद्यालय प्रबंधन समिति का खाता खोला जाना है, जिसमें बच्चों, विद्यालयों एवं शिक्षकों से संबंधित राशि यथा बच्चों के entitlement संबंधी राशि, विद्यालय संबंधी अनुदान की राशि एवं शिक्षकों को पठन-पाठन सामग्री (Teaching Learning Material) हेतु दिए जाने वाले अनुदान की राशि आदि विद्यालय प्रबंधन समिति को उपलब्ध करवायी जाएगी ।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या 1291 दिनांक 11 मई, 2011, राँची, झारखण्ड के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का खाता अध्यक्ष, अध्यापक एवं सदस्य संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से खोले जाएंगे ।

विश्वासभाजन

C.A.
मिथिलेश कुमार सिन्हा,
वरीय कार्यक्रम सप्लायर

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, लातेहार

समाहरणालय परिसर लातेहार, दूरभाष सं० : 06565 - 248038

पत्रांक 485/

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक सह,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, लातेहार।

दिनांक 24/05/12

Important

सेवा में,

जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
लातेहार

विषय :- विद्यालय प्रबंधन समिति का बैंक में नया खाता खुलवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य परियोजना के पत्रांक VEC/05/102/2010/1107 दिनांक 21.05.2012 के निदेशानुसार आपके प्रखण्ड अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति का बैंक खाता विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाना है।

अतः आप को निदेश दिया जाता है कि आपके प्रखण्डाधीन सभी विद्यालय प्रबंधन समिति का बैंक खाता CBS (कोर बैंकिंग) बैंकों में यथाशीघ्र खुलवाते हुए उसका बैंक खाता संख्या संबंधी विवरणों का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी कार्यालय में 10 दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

इसे अत्यावश्यक समझें।

अनुलग्नक : संबंधित पत्र की छायाप्रति।

विश्वासमाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक सह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
लातेहार।

ज्ञापक 130/ बहुआडॉड, दिनांक 02-06-2012

प्रतिष्ठिति: शासनाधीन सभी प्रखण्ड विद्यालय, प्रखण्ड विद्यालय एवं अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रमुखी प्रशासक/प्रमुखी के द्वारा एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित

प्रतिष्ठिति:- आखा प्रबन्धन, भारतीय स्टेट बैंक बहुआडॉड की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एवं लै सुहायोग के अन्दर

Mukesh
प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
बहुआडॉड (लातेहार)